

Form -1
(For Linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Dehradun

No: DDN/2021 Dated: 23-12-2021

No. 263 / DLRC / 2022

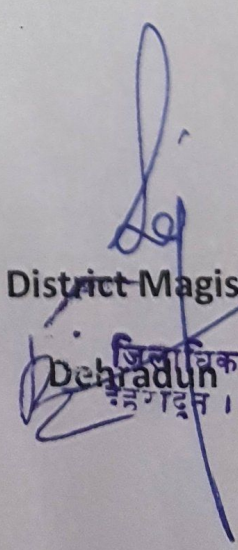
DATE:- 30/3/2022

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEf), Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009, Wherein the MoEf issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEf's letter dated 5th February 2013 wherein MoEf issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **0.144 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of M/s BSNL Dehradun for Lay of Optical Fiber Cable in Dehradun District.

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA is exempted for the entire **0.144 Hectares** of forest proposed for diversion in case of linear projects.
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA is exempted in case of Linear project.
- c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre agricultural communities.
- d) This certificate is being issued on the basis of the report of Divisional Forest Officer Kalsi of Land Conservator of Forest Division, Kalsi.


District Magistrate

Dehradun
जिलाधिकारी
देहरादून

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय आर्टिकल फाइबर नेटवर्क
(भारत सरकार की एक परियोजना ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है)
कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर

उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत ढलानी ग्राम पंचायत
(0.144 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि — हे० वन भूमि) का
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.144 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 17/02/2022 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उपप्रमाणाय वनाधिकारी	श्री <u>विनोद कुमार</u>	उपजिलाधिकारी	<u>विनोद कुमार</u>	अध्यक्ष
सहसपुर उपवनअग्रगण्य	श्री <u>विनोद कुमार</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<u>विनोद कुमार</u>	सदस्य
कालनी (देहयदून)	श्री <u>पूजा पाल</u>	सहायक सभापति	<u>पूजा पाल</u>	सदस्य/सचिव
	श्री <u>विनोद कुमार</u>	सदस्य क्षेत्र पंचायत	<u>विनोद कुमार</u>	सदस्य

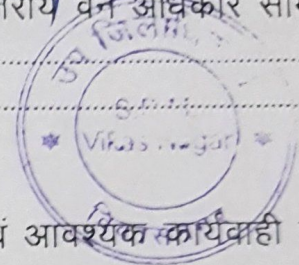
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आर्टिकल फाइबर नेटवर्क (रज. ओ. रफ. रज.), (भारत सरकार की एक परियोजना ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है) परियोजना हेतु 0.144 हे० वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, विनोद कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

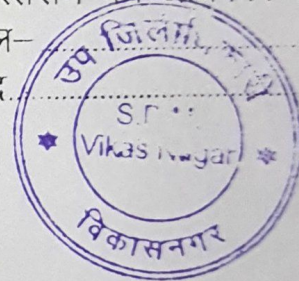
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत
सन.ओ.एफ.एन (NOFN) परियोजना के निर्माण हेतु 0-144
हे0 वन भूमि B.S.N.L प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—



प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क

(भारत सरकार की एक परियोजना (एन ओ एफ एन) ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ढलानी
तहसील विकासनगर जिला देहरादून

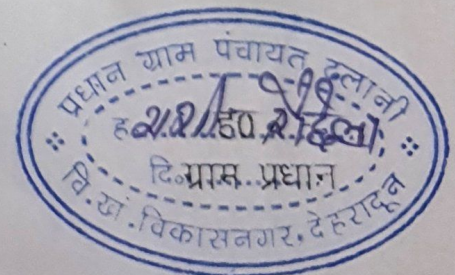
देहरादून, विकासनगर अनापत्ति प्रमाण पत्र एन ओ एफ एन परियोजना उत्तराखण्ड में जनपद विकासनगर के अन्तर्गत एन ओ एफ एन परियोजना के निर्माण हेतु (0.144 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि — हे०, वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल 0.156 हे० वन भूमि का नो-ए.एस.एन.एल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ढलानी द्वारा दिनांक 30/12/24 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ढलानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि (BSNL) 0.144 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० 27/01/2024
ग्राम सभा विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - ढलानी
वि.सं. - विकासनगर
जनपद - देहरादून



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 30/12/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ढलानी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Sunil Singh	
2	Manjul Singh	
3	Babbar Singh	
4	Jai Singh	
5	Gagan	
6	Gitan Singh	
7	Sachin Handwal	
8	Tikam Singh	
9	Sunil Singh	
10	DR. Tuman Singh	

